

शुद्धिपत्र

विभिन्न श्रेणियों/पदों में केन्द्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों की स्थापना-वार/इकाई-वार स्वीकृत संख्या, के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 06.01.2014 के समसंख्यक आदेश के जरिये निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:-

1. अनुबंध-II के पृष्ठ सं. 4 पर, कोलकाता क्षेत्र के विरुद्ध शीर्षक "क्षेत्राधिकार" के अंतर्गत:
इसके स्थान पर: पश्चिम बंगाल के राज्य (बर्दवान के सिविल जिला को छोड़कर, बीरभुम, बंकुरा एवं पश्चिम बंगाल के राज्य में पुर्लिया को छोड़कर) एवं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह (संघ शासित प्रदेश)
पदें: पश्चिम बंगाल के राज्य (बर्दवान के सिविल जिला को छोड़कर, बीरभुम, बंकुरा एवं पश्चिम बंगाल के राज्य में पुर्लिया को छोड़कर), सिक्किम एवं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह (संघ शासित प्रदेश)
2. मूल आदेश की अन्य विषय-सामग्री समान रहेगी।

(बाबू चरीयन)

निदेशक

दूरभाष: 23753079

वितरण:

1. मुख्य श्रम आयुक्त (के.), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
2. श्रम कल्याण महानिदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
3. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
4. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6. सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
7. सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एसजीआई), नई दिल्ली
8. सचिव, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली
9. सचिव, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
10. डीजीओएफ एवं अध्यक्ष, आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता
11. रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, (एडजुटेंट जनरल शाखा/एमपी-4(सिविल) (सी), सेना भवन, नई दिल्ली
12. रक्षा मंत्रालय (नौसेना) का एकीकृत मुख्यालय, कमरा नं. 210, 'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली
13. महानिदेशालय गुणवत्ता आश्वासन, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, 'जी' ब्लॉक, नई दिल्ली
14. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली
15. महासचिव, केन्द्रीय औद्योगिक संबंध/सीएलएस अधिकारी संघ, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।